संख्या- 6/1608 /अड्तीस-9-13-02(आडिट)/2010

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 18 दिसम्बर, 2013

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत बारात घर का निर्माण कराये जाने/ योजनान्तर्गत सोलर लाइट या ट्रान्सफार्मर लगाये जाने पर पेन्ट से स्पष्ट रूप् से विधायक निधि पोषित होने का विवरण लिखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विधान सभा की लोक लेखा समिति की दिनांक-13-11-2013 को सम्पन्न बैठक् में मा0 सदस्यों द्वारा निम्न बिन्दु उठाये गये थे:-

(1)- गॉव की आबादी के अन्दर स्थित भूमि पर ग्रामसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने के उपरान्त भी बारात घर बनने की अनुमति उप जिलाधिकारी द्वारा न दिये जाने के कारण एवं इस समस्या का निदान किया जाय।

(2)- विधायक निधि से सोलर लाइट या टान्सफार्मर लगाये जाय उन पर पेन्ट से स्पष्ट रूप् से विधायक निधि पोषित होने का विवरण लिखवाया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा बारात घर के निर्माण हेतु प्रस्ताव किये जाने पर उनकी स्वीकृति नियमानुसार तत्काल दे दी जाय और यदि किसी मामलें में कोई विधिक बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित मा0 सदस्य को समयान्तर्गत उपलब्ध करा दी जाय। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत सोलर लाइट/ट्रान्सफार्मर की स्थापना कराने के उपरान्त उनके ऊपर पेन्ट से "विधायक निधि द्वारा पोषित" विवरण को अवश्य लिखवा दिया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

संख्या-6/ 1608 (1) /अड्तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

http://sirsaridesh.up.nic.in/